राघोपुर 165/18

G.R. 540/18

9-7-20 कारागारित अभियुक्त कृपाशंकर साह उर्फ कृपाशंकर गुप्ता और सैरुन खातुन उर्फ निभा उर्फ गुड़िया को V.C के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दिनांक-22-7-20 के वास्ते पुनः प्रस्तुत करने हेतु।

V.C
9-7-20

पश्चात
09.07.2020

कारावासी अभियुक्त कृपाशंकर साह उर्फ कृपाशंकर गुप्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 07.07.2020 पर सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित किया गया। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किये है। प्रार्थी अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप व साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी को गलत ढंग से अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिना किसी अपराध के दिनांक - 29.06.2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में है। प्रार्थी अभियुक्त उचित प्रतिभूति का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है।

अतः प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान स०लो०अभि० जमानत का विरोध करते है।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

राघोपुर - 165/18 (?)

G.R. 540/18

लगातार

09.07.2020

से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त इस काण्ड के नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी के विरुद्ध धारा 380, 457 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप है प्रार्थी अभियुक्त दिनांक - 29-06-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है परन्तु प्रार्थी अभियुक्त कई अन्य मामलों में वांछित है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध डकैती, लूट, चोरी जैसे कई अन्य मामले में संलिप्त होने का साक्ष्य है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध इस काण्ड के अलावे (i) प्रतापगंज थाना काण्ड सं0 93/18 (ii) बलुआबाजार थाना काण्ड सं0 32/18 (iii) राघोपुर थाना काण्ड सं0 72/18 एवं (iv) राघोपुर थाना काण्ड सं0 76/18 में संलिप्त होने का साक्ष्य है। उपरोक्त सभी मामले चोरी एवं गृह भेदन से सम्बन्धित है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित धाराएँ गम्भीर प्रकृति के है। उपरोक्त तथ्यों तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः प्रार्थी काराधीन अभियुक्त कृपाशंकर साह उर्फ कृपाशंकर गुप्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक - 07.07.2020 - को Rejected - - किया जाता है।

लेखापित

[signature]

अ0 मु0 न्या0 दण्डा0